।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 837 /12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 18/08 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– प्रपोजल संख्या FP/UK/Road/10925/2015 सोनला कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला–गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.00 है0 वन पंचायत/आरक्षित

संदर्भः– ई0डी0एस0 दिनांक 04.08.2017

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली) की पत्र सं0 1101/1 सी(वन) दि. 17.08.2017 **(संलग्न)** द्वारा विषयगत प्रकरण में लगे कतिपय कमियों का निराकरण निम्नानुसार किया गया है।

क्र0 सं0	प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण
1.	It is seen from DSS analysis of the KML file/geo referenced map of the proposed CA area that 1-40 ha area out of total 8.00 ha overlaps with the CA area proposed against another project having proposal No- FP/Uk/Road/14464/2015, State Govt. may change the CA area and submit revised geo referenced map, map in survey of india toposheet and suitability.	**(Answer of eds point no- 1)** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी 8.00 है0 भूमि क्षेत्रीय पटवारी की उपस्थिति में चिन्हित सीमा के अन्तर्गत ही coordinates लिये गये है। तदोपरान्त ही Geo referenced map बनवाया गया है। महोदय इस खण्ड के द्वारा कोआर्डिनेट लेने में त्रृटि नहीं की गयी है एवं geo-referenced map चिन्हित स्थल के अनुसार सही है।
2.	In the village wise breakup of forest land given in para-B 2.3 online part-I, Forest land has been shown against 4 villages namely, kanchula, Donthla, Bairath, Gainsajkata but the name of these village except Donthla village have not been mentioned in the proceeding of the Gram panchayat provided under FRA and uploaded in Part-K of online part-I.	**(Answer of eds point no- 2)** ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये ग्रमा कांचुला, बेराठ, गैन सेजकटा के ग्राम स्तरीय सिमिमि के प्रपत्र एवं FRA के सभी annexure part I, Column K में ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये है।
3.	Stat Govt. may also submit origional hard copy of the FRA Certificate, geo referenced digital map of the forest land porposed for diversion and the land proposed for CA and authenticated copies of the proceeding of the District Level Committe, Sub Divisional Level Committee and all Village level Committees.	**(Answer of eds point no- 3)** **FRA** उपखण्ड स्तरीय समिति, ग्रामस्तरीय समिति के प्रपत्र जियोरिफरेन्स डिजिटल मैप, टोपोशीट मैप एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्नः– 1– FRA के सभी प्रमाण पत्र (पंज नं0 2–13) 2– जियोरेफेरेन्स डिजिटल मैप, (पेंज नं0 14) 3– टोपोशीट मैप। (पेंज नं0 15) 4– क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र (पेज नं0 16)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रपत्रों को मूल में अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक–1101 /1सी0 (वन) दिनांक 17/8 /2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10925/2015 सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला–गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.000 हे0 वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– आपका ऑनलाइन E. D. S. दिनांक 04.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 04.8.2017 द्वारा प्राप्त आपत्तियो का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत हैः–

1	प्रश्न	उत्तर
1	It is seen from DSS analysis of the KML file/geo referenced map of the proposed CA area that 1.40 ha area out of total 8.00 ha overlaps with the CA area proposed against another project having proposal No. FP/UK/ROAD/14464/2015. State Govt. may change the CA area and submit revised geo referenced map,map in survey of india toposheet and suitability certificate ect.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी 8.00 हे0 भूमि क्षेत्रीय पटवारी की उपस्थिति मे चिन्हित सीमा के अन्तर्गत ही Coordinates लिये गये है। तदोपरान्त ही जिओ– रिफेरन्स मैप बनवाया गया है। महोदय इस खण्ड के द्वारा कोआर्डिनेट लेने मे त्रुटि नहीं की गयी है एवं जिओ रिफरेन्स मैप चिन्हित स्थल के अनुसार सही है।
2	In the village wise breakup of forest land given in para-B-2.3 of online part-I, forest land has been shown against 4 villages namely: kanchula, Donthla, Bairath, Gainsajkata but the name of these villages except Donthla village have not been mentioned in the proceeding of the Gram panchayat provided under FRA and uploaded in Part-K of online part-I.	ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये ग्राम कॉचुला, बैराठ, गैनसंजकटा के ग्राम स्तरीय समिति के प्रपत्र एवं FRA के सभी annexure Part I column K में ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है।
3	State Govt. may also submit original har copy of the FRA certificate, geo referenced digital mpa of the forest land propsed for diversion and the land proposed for CA and authenticated copies of the proceedings of the District Level Committe, sub Divisional Level Committee and all Village Level committess.	एफ0आर0ए0, उपखण्ड स्तरीय समिति ग्रामस्तरीय समिति के प्रपत्र, जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप, टोपोशीट मैप एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपड मानचित्र मूल मे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न 1– एफ0आर0ए0 के सभी प्रमाण पत्र (पेज नं0 2–13) 2– जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप, (पेज नं0 14) 3– टोपोशीट मैप,(पेज नं0 15) 4– क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र। (पेज नं0 16)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रपत्रो को मूल मे अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करे।

भवदीय

17/8/17

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated :** 13-4-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.000 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Gauchar, Uttarakhand for construction of new motor road "Kanchula-Gain" in Chamoli district falls within jurisdiction of Kanchula senz kata village (s) in Karanprayag tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s)' "Kanchula senz kata , Gain" sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी
Signature चमोली
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 13.04.2015 at time 14:00 Hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measure 5.260 hect for the construction of construction of new motor road "Kanchula-Gain" (Praposed Lenth Km 7.200) and forest land 4.000 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 13.04.2015

जिलाधिकारी
चमोली

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

7

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-मैरबुरा मोटर मार्ग से कांचुला गैन मो० मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.680हे० वन पंचायत, 2.100हे० आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.220हे० कुल 4.000हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डोठला/गैनोली
तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत सोनला-मैरबुरा मो० मार्ग से कांचुला गैन मोटर मार्ग। परियोजना के निर्माण हेतु (2.100 हे0 आरक्षित वन भूमि, × हे0 सिविल सोयम भूमि 1.680हे0, तथा मकडिस्पोजल हेतु 0.220हे० वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 4.000हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० गोचर —विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोठला/गैनोली द्वारा दिनांक 10.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत डोठला/गैनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि०गोचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ... (चमोली), दिनांक 10.3.15)
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला-जैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.600 है० वन पंचायत, 2.100 है० आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.220 है० कुल 4.000 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~कर्णप्रयाग~~

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मो०मार्ग से कांचुला जैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (2.100 हे0 आरक्षित वन भूमि, X हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.600 हे0 तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.220 है० हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.000 हे0 वन भूमि) का लो०नि०वि० गौचर ——प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 25-3-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री विवेक प्रकाश ——उपजिलाधिकारी ———————— अध्यक्ष
2— श्री सुरेन्द्र लाल ——उप प्रभागीय वनाधिकारी———————सदस्य
3— श्री मोहन सिंह भण्डारी ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी————सदस्य / सचिव
4— श्री ——————बी0डी0सी0 क्षेत्र श्रीमती सुशीला रावत ——सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला जैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.600 है० वन पंचायत तथा ~~परियोजना हेतु —— हे0 वन~~ 2.100 है० आरक्षित एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.220 है० कुल 4.000 है० वन भूमि का लो०नि०वि० गौचर को हस्तान्तरण।

—————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

महिपाल सिंह नेगी - सदस्य क्षेत्र पंचायत - कनखोली
मालचन्द पुरोहित - सदस्य क्षेत्र पंचायत - सिरपकोट

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चमोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोनला-भैस्वाड़ा मोटर मार्ग से काफुला सैनबे. मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.0000 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. गोचर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10.3.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गनोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गौरसिंह कुंडिर	गौरसिंह
2	,, रघुनाथसिंह कुंडिर	रघुनाथसिंह
3	,, महावीरसिंह ,,	[illegible]
4	,, पुष्करसिंह ,,	पुष्करसिंह
5	,, अवतारसिंह ,, (पूर्व प्रधान) गनोली	अवतारसिंह
6	,, गोविन्द सिंह ,,	[illegible]
7	श्रीमती गुड्डी देवी ,, (पूर्व प्रधान) गनोली	गुड्डी देवी
8	श्री दानसिंह ,,	दानसिंह
9	,, मकरसिंह ,,	मकरसिंह
10	,, उम्मेदसिंह ,, (पूर्व प्रधान) गनोली	उम्मेदसिंह
11	,, सरवारसिंह ,,	[illegible]
12	श्रीमती कुन्तीदेवी (पूर्व प्रधान) गनोली	कुन्ती देवी
13	,, देवेश्वरी देवी ,,	देवेश्वरी देवी
14	,, सीता देवी ,, उपप्रधान गनोली	सीता देवी
15	श्री बलवन्तसिंह रावत	बलवन्तसिंह
16	,, गजपालसिंह ,,	[illegible]
17	,, जसपालसिंह कुंडिर	जसपालसिंह
18	,, रमेशसिंह ,,	[illegible]
19	श्रीमती कुसुम देवी ,,	कुसुम देवी
20	,, देवेश्वरी देवी ,,	देवेश्वरी देवी
21	,, फागुनी देवी (वार्ड सदस्य वार्ड 3)	फागुनी देवी
22	श्री मकरसिंह कठैत	मकरसिंह
23	,, कुलमणसिंह कठैत	[illegible]
24	,, विनोद कुंडिर	विनोद
25	,, चन्दनसिंह कठैत	चन्दनसिंह

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गनोली
हस्ताक्षर [illegible]
दिनांक 10.3.15
विकासखण्ड–कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम–[illegible]।
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम[illegible] द्वारा दिनांक 8-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काबुला के ग्रामवासियों को 0.64 हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव उप0एम0 [illegible]
ग्रा0पं0वि0अ0

प्रधान ग्राम पंचायत
हस्ताक्षर मधुदेवी
दिनांक ......
विकास खण्ड कर्णप्रयाग (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 08.5.20[illegible] को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–[illegible]कला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रघुनाथ सिंह	रघुनाथ सिंह
2	अवतार सिंह	अवतार सिंह
3	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
4	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
5	भूपाल सिंह	[illegible] सिंह
6	महावीर सिंह	महावीर सिंह
7	गोविन्द सिंह	[illegible]
8	दान सिंह	दान सिंह
9	सिसुपाल सिंह	[illegible]
10	दर्शन सिंह	दर्शन [illegible]
11	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
12	[illegible] सिंह	[illegible]
12	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
13	[illegible] सिंह	[illegible]
14	[illegible] सिंह	[illegible]
15	[illegible] सिंह	[illegible]
16	[illegible] सिंह	[illegible]
17	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह

मधु देवी

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम – कॉचुला
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम डांगला द्वारा दिनांक 81.5.0.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को 0.84 हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव ग्रा0एम0 नगवाल
ग्रा0पं0वि0अ0

ह0
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत डांगला
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

नोट :– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 08.5.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम ~~पंचायत~~ – [illegible]

कमांक	ग्राम सभा मे उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हलाद सिंह	[illegible]
2	पदम सिंह	पदम सिंह
3	दलबीर सिंह	[illegible]
4	कुन्दन सिंह	[illegible]
5	बाला सिंह	[illegible]
6	चन्द्र सिंह	[illegible]
7	कुन्दन सिंह	[illegible]
8	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
9	रूप सिंह	रूप सिंह
10	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
11	मोहन सिंह	मोहन सिंह
12	मंगल सिंह	मंगल सिंह
13	[illegible] सिंह	[illegible]
14	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
15	[illegible] सिंह	[illegible]
16	दलबीर सिंह	दलबीर
17	भगवान सिंह	भगवान

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम – कैराङ
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम कैराङ द्वारा दिनांक 8-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को 0.86 हे0 वन पंचायत भूमि–प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव एच0एम0 जगवाण
ग्रा0पं0वि0अ0

प्रधान ग्राम पंचायत ... विकासखण्ड–कर्णप्रयाग (चमोली)
हस्ताक्षर मधु देवी
हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 06-5-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम ~~पंचायत~~ – लैंटा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री कल्याण सिंह कठैत	कल्याण सिंह
2-	श्री सुरेन्द्र सिंह कठैत	[illegible]
3-	श्री गबर सिंह कठैत	गबर सिंह
4-	श्री चन्दन सिंह कठैत	चन्दन सिंह
5-	श्री यशवीर सिंह कठैत	Yashwant
6-	श्री उज्ज्वल सिंह कठैत	उज्ज्वल सिंह
7-	श्री विक्रम सिंह कठैत	विक्रम सिंह
8-	श्री महावीर सिंह कठैत	
9-	श्री कुंवर सिंह कठैत	BSK

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
हस्ताक्षर मधु देवी
दिनांक .....
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

ह०/
ग्राम प्रधान

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

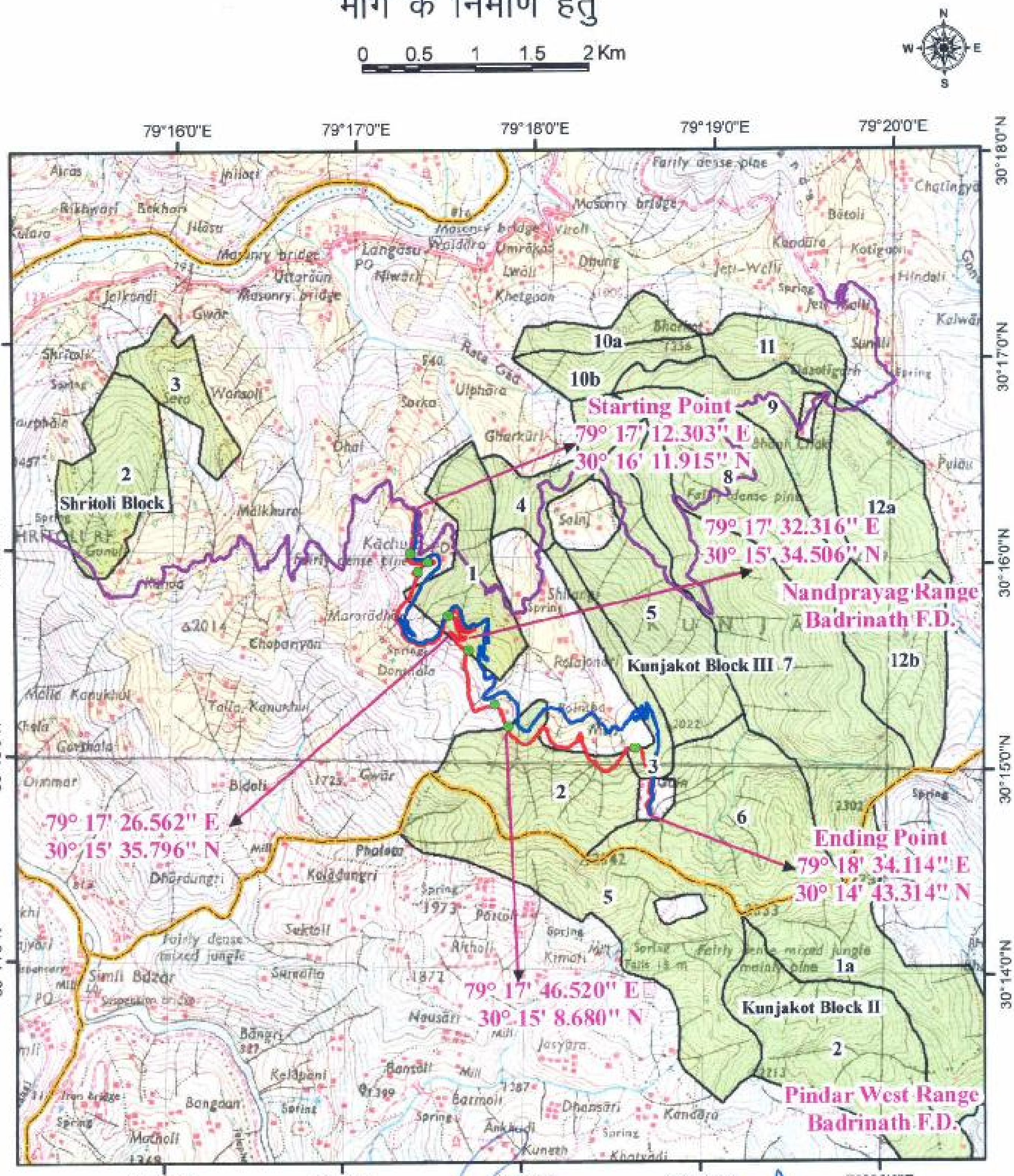

Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

J.E

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थराली

जियो रेफरेंस मैप :– जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.25 0.5 1 Km

Scale - 1:16,000

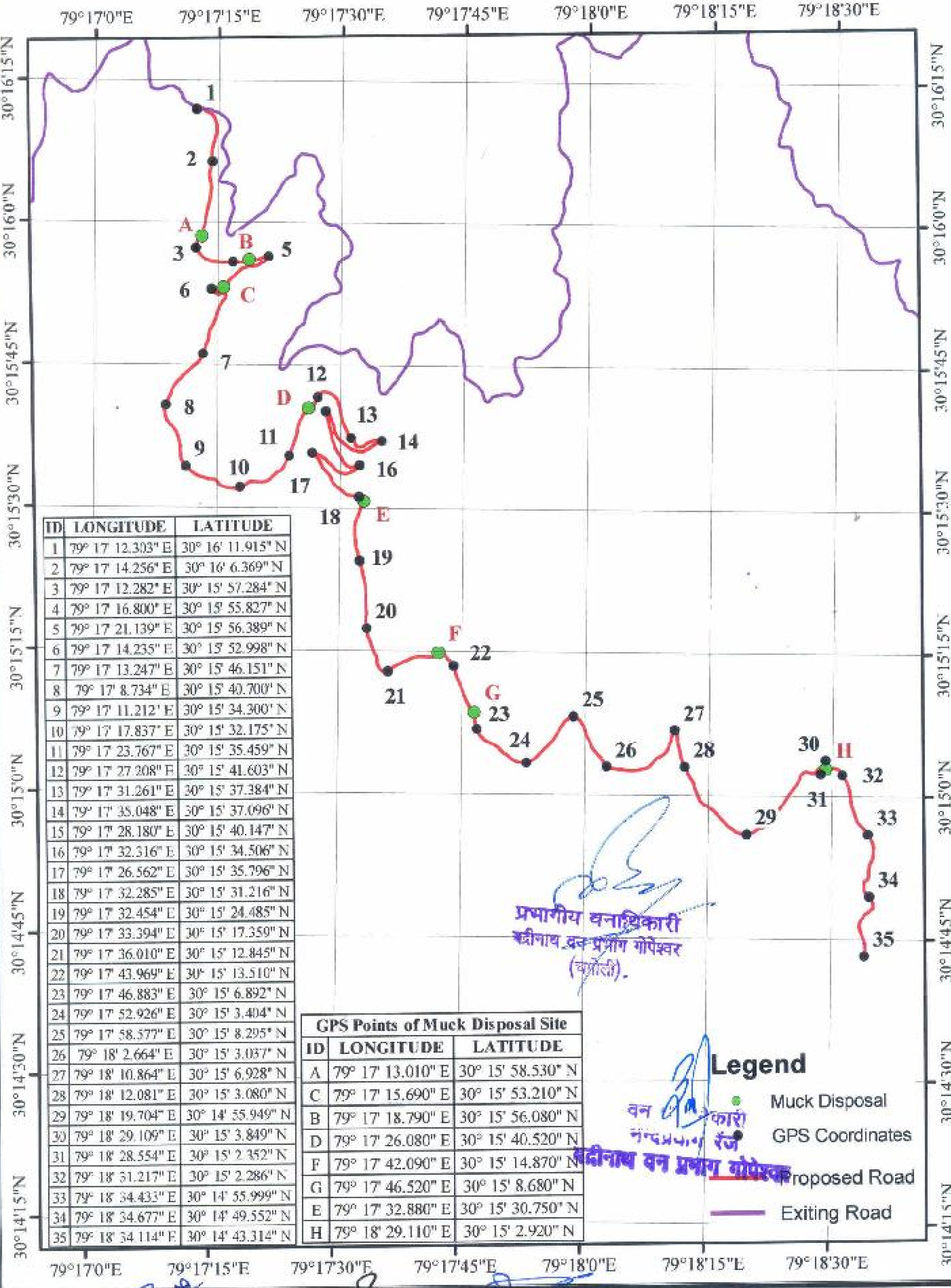

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 17' 12.303" E	30° 16' 11.915" N
2	79° 17' 14.256" E	30° 16' 6.369" N
3	79° 17' 12.282" E	30° 15' 57.284" N
4	79° 17' 16.800" E	30° 15' 55.827" N
5	79° 17' 21.139" E	30° 15' 56.389" N
6	79° 17' 14.235" E	30° 15' 52.998" N
7	79° 17' 13.247" E	30° 15' 46.151" N
8	79° 17' 8.734" E	30° 15' 40.700" N
9	79° 17' 11.212" E	30° 15' 34.300" N
10	79° 17' 17.837" E	30° 15' 32.175" N
11	79° 17' 23.767" E	30° 15' 35.459" N
12	79° 17' 27.208" E	30° 15' 41.603" N
13	79° 17' 31.261" E	30° 15' 37.384" N
14	79° 17' 35.048" E	30° 15' 37.096" N
15	79° 17' 28.180" E	30° 15' 40.147" N
16	79° 17' 32.316" E	30° 15' 34.506" N
17	79° 17' 26.562" E	30° 15' 35.796" N
18	79° 17' 32.285" E	30° 15' 31.216" N
19	79° 17' 32.454" E	30° 15' 24.485" N
20	79° 17' 33.394" E	30° 15' 17.359" N
21	79° 17' 36.010" E	30° 15' 12.845" N
22	79° 17' 43.969" E	30° 15' 13.510" N
23	79° 17' 46.883" E	30° 15' 6.892" N
24	79° 17' 52.926" E	30° 15' 3.404" N
25	79° 17' 58.577" E	30° 15' 8.295" N
26	79° 18' 2.664" E	30° 15' 3.037" N
27	79° 18' 10.864" E	30° 15' 6.928" N
28	79° 18' 12.081" E	30° 15' 3.080" N
29	79° 18' 19.704" E	30° 14' 55.949" N
30	79° 18' 29.109" E	30° 15' 3.849" N
31	79° 18' 28.554" E	30° 15' 2.352" N
32	79° 18' 31.217" E	30° 15' 2.286" N
33	79° 18' 34.433" E	30° 14' 55.999" N
34	79° 18' 34.677" E	30° 14' 49.552" N
35	79° 18' 34.114" E	30° 14' 43.314" N

GPS Points of Muck Disposal Site		
ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79° 17' 13.010" E	30° 15' 58.530" N
C	79° 17' 15.690" E	30° 15' 53.210" N
B	79° 17' 18.790" E	30° 15' 56.080" N
D	79° 17' 26.080" E	30° 15' 40.520" N
F	79° 17' 42.090" E	30° 15' 14.870" N
G	79° 17' 46.520" E	30° 15' 8.680" N
E	79° 17' 32.880" E	30° 15' 30.750" N
H	79° 18' 29.110" E	30° 15' 2.920" N

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

J.E A.E E.E

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल ग्वाड़ सिविल सोयम

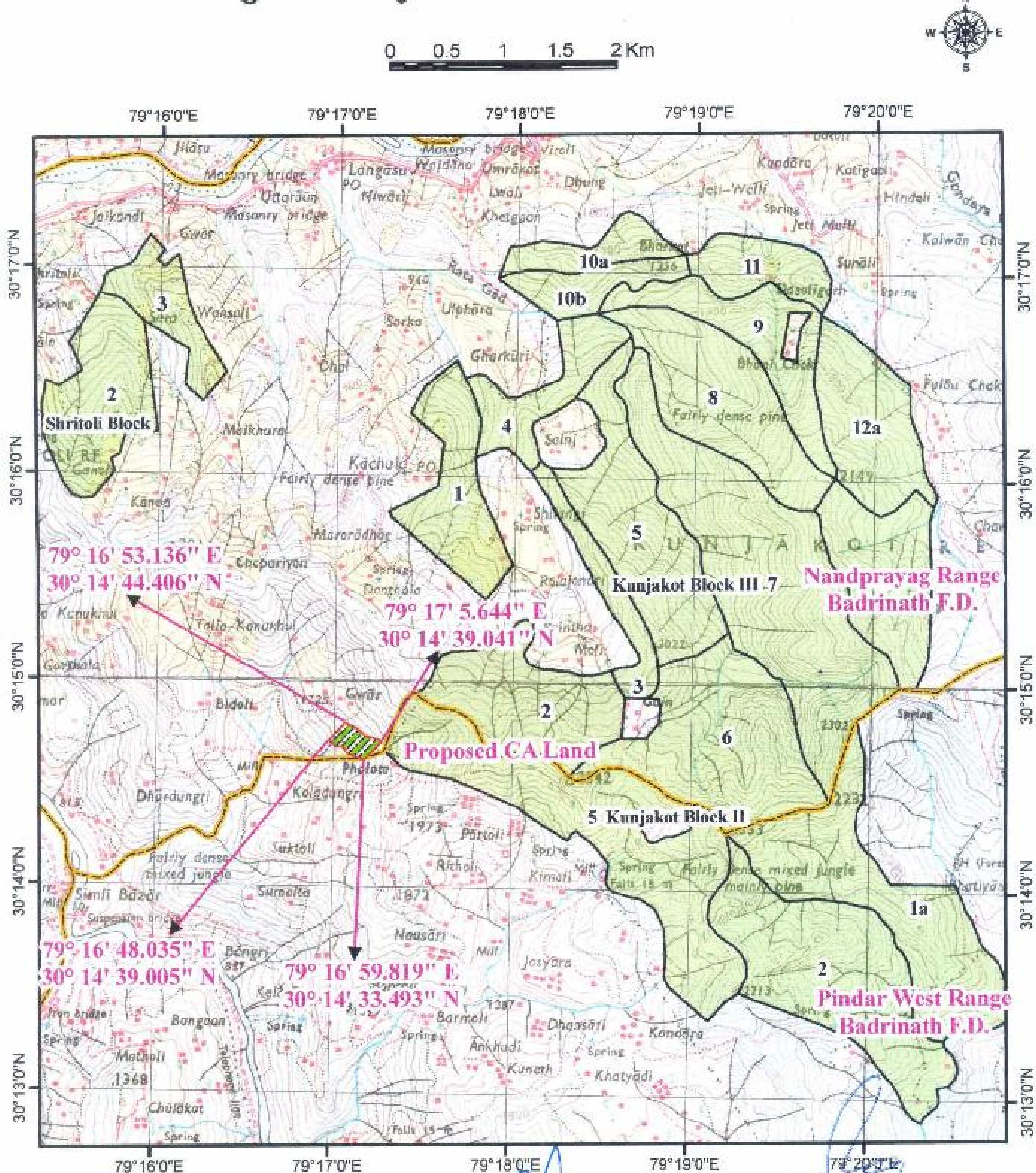

Legend

- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

J.E

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

जियो रेफरेंस मैप :– जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल ग्वाड़ सिविल सोयम

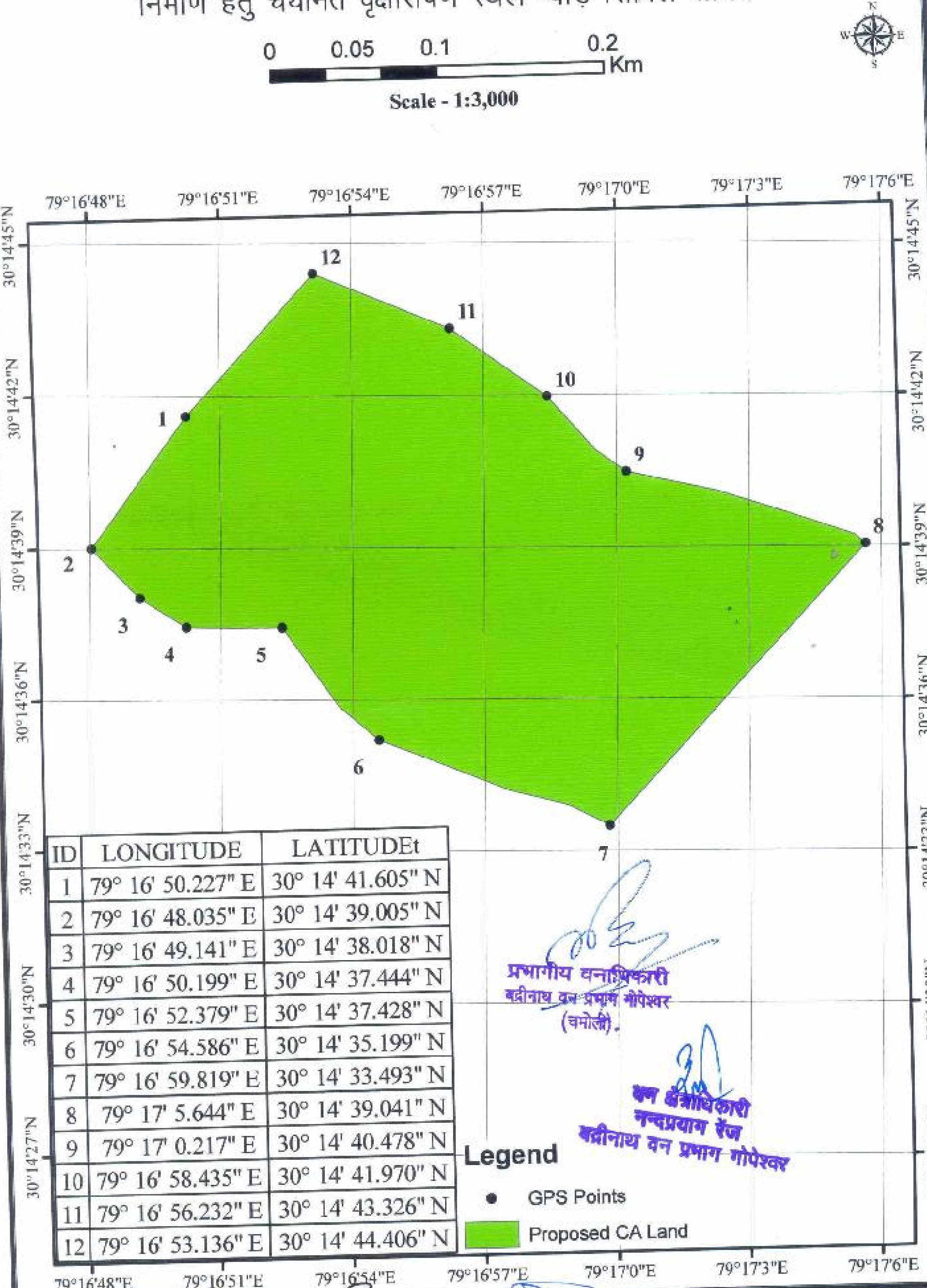

ID	LONGITUDE	LATITUDEt
1	79° 16' 50.227" E	30° 14' 41.605" N
2	79° 16' 48.035" E	30° 14' 39.005" N
3	79° 16' 49.141" E	30° 14' 38.018" N
4	79° 16' 50.199" E	30° 14' 37.444" N
5	79° 16' 52.379" E	30° 14' 37.428" N
6	79° 16' 54.586" E	30° 14' 35.199" N
7	79° 16' 59.819" E	30° 14' 33.493" N
8	79° 17' 5.644" E	30° 14' 39.041" N
9	79° 17' 0.217" E	30° 14' 40.478" N
10	79° 16' 58.435" E	30° 14' 41.970" N
11	79° 16' 56.232" E	30° 14' 43.326" N
12	79° 16' 53.136" E	30° 14' 44.406" N

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली).

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

J.E A.E E.E